Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 11-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 16, 2025 (PAUSA 26, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 जनवरी, 2025

संख्या 13/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में,–

(क) अनुसूची में, क्रम संख्या 105 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"105क	30	जीन थेरेपी";

(ख) व्याख्या में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ii) ' प्री–पेकेज्ड और लेबलड' अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, वे सभी वस्तुएं, जो खुदरा बिक्री के लिए आशयित हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 2 के खंड (ठ) में परिभाषित अनुसार 'प्री–पेकेड' हैं, जहां वह पैकेज जिसमें वस्तु प्री–पेक की गई है या उस पर सुरक्षित रूप से चिपका हुआ लेबल, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन घोषणाएं निहित होनी अपेक्षित हैं।"।

देविंदर सिंह कल्यान,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 16th January, 2025

No. 13/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendment in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.36/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

(a) in the Schedule, after serial number 105 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“105A.	30	Gene Therapy”;

(b) in the Explanation, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

11578—C.S.—H.G.P., Pkl.